






तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज	नम अ हुकम मं
08-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकिलाय समय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>13-12-24</u> को पेश हो। 	
13-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकिलाय समय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>29-1-25</u> को पेश हो। 	
29-01-25	पत्रावली पेश हुई। वकिलाय समय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>04-03-25</u> को पेश हो। 	
04-03-25	पत्रावली पेश हुई। वकिलाय समय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक <u>26-5-25</u> को पेश हो। 	
26.05.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व सम्बन्धित मूल वादपत्र में दिनांक 21.09.2023 को प्रतिवादी /अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। मूल वादपत्र व इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	

दुकग या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज

वा.पत्र अर्थात् अ.नं. ३१

अ.नं. - 28/2023

मे प्रतिवादीगण/अप्राथीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर प्रार्थना पत्र अर्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अर्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.04.2023 को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)